— price preference @ 12.2% for products manufactured by the SSI unit-holders.

— exemption from payment of toll tax to SSI units on purchase of raw material from outside State and on sale of finished goods outside the State.

— 100% subsidy on purchases of quality control testing equipment.

— provision of power to Industrial units @0.48 per unit which is lowest in the country.

The following steps have been taken for development of industries including small scale industries in the State:—

(i) Growth Centre at Samba on the National Highway, near Jammu is being developed at a cost of Rs 30.00 crores. It shall provide all required facilities like roads, water supply, electricity, telecommunication, Conference Hall and other facilities over an area of 838 acres.

(ii) Another Growth Centre is proposed to be developed in the Kashmir Valley at Ompura/Lassipora.

(iii) An Industrial Estate, under the Central Government Scheme of Integrated Infrastructure Development, is being set up at a cost of Rs. 5.00 crores at Butal Balia, Udhampur District over an area of 120 acres. About 500 developed plots will be available for entrepreneurs.

(iv) Another Industrial Estate, over an area of 238 acres is being developed near Jammu in Kartholi. It will be a composit estate for small as well as medium/large industrial units.

(v) An Entrepreneurial Development Institute is proposed to be set up at Srinagar for providing training to entrepreneurs, at a cost of around Rs. 2.00 crores.

(vi) An Export Promotion Industrial Park (EPIP) is also proposed to be set up with the assistance of the Government of India in Jammu.

Schemes under MPLADS from the Electronics Projects

2534. SHRI V. RAJESHWAR RAO:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how many MPs have come forward and actually proposed schemes under MPLADS from the Electronics Projects;

(b) what is the total estimate of these projects and their number; and

(c) what is being done to popularise these projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (PROF. P.J. KURIEN): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The Department of Electronics circulated in December, 1994 the Brochure containing the details of the five electronics projects under the Members of Parliament Local Area Development (MPLAD) Scheme to all MPs and other concerned. Thereafter, detailed guidelines on implementation of Electronics projects and maintenance of electronic equipments have been issued in May and September, 1995 respectively.

The Department of Programme Implementation, Government of India has also issued revised guidelines in September, 1995 to all MPs and District Collectors, inserting five Electronics Projects under MPLAD Scheme. Every effort has been made to provide as much information as possible so as to facilitate expeditious implementation of these projects.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार पर सम्मेलन

2535. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने सितम्बर,

1994 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए अपने सम्मेलन में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की समस्याओं पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में भ्रष्टाचार के ब्यौरों पर विचार किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु की गई सिफारिशों और किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): (क) से (ग) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के तत्वाधान में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की एक कार्यशाला 27-29 सितम्बर, 1994 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में भ्रष्टाचार निवारण के उपायों पर इस सम्मेलन में भाग लेने वाले मुख्य सतर्कता अधिकारियों के बीच विचारों तथा अनुभवों का आदान-प्रदान हुआ। कार्यशाला के समापन पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार की प्रभावी रूप से रोकथाम के निमित सरकार को निम्नलिखित सुझाव दिए गए:—

(i) प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में सतर्कता कार्य के लिए एक आदर्श प्रतिरूपी सतर्कता तंत्र का होना।

(ii) प्रभावी सतर्कता कार्य के लिए सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में पृथक सतर्कता तंत्र का सृजन।

(iii) मुख्य सतर्कता अधिकारियों/सतर्कता पदाधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाना।

(iv) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पृथक संगठन का सृजन करना ताकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने के लिए अपनाए गए तरीकों के अनुरूप ही जांच की जा सके।

(v) प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के सतर्कता कार्य का त्रैमासिक मूल्यांकन तथा

(vi) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत विभिन्न स्तर के अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा पारित अनुशासनिक मामले संबंधी अंतिम आदेशों की निदेशक मंडल द्वारा त्रैमासिक समीक्षा।

आदर्श प्रतिरूपी सतर्कता तंत्र की स्थापना विषयक सुझाव के संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग को पहले ही अध्ययन करने तथा उपयुक्त सिफारिशें देने का अनुरोध किया गया है। तथापि सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में पृथक सतर्कता तंत्र स्थापित करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इससे किसी संगठन में सतर्कता के यथार्थ तथा निष्पक्ष ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सतर्कता प्राधिकारियों की भर्ती में जिस लचीलेपन की आवश्यकता है, उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी।

इस समय केन्द्रीय सतर्कता आयोग मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है जिससे कि उनकी प्रशिक्षण जरूरतों की पूर्ति होती है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तरह एक और संगठन के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इससे परस्परव्यापी कार्यों तथा समन्वय संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा होंगी। इसके अलावा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का पुनर्गठन इस दृष्टि से भी किया गया है कि ब्यूरो सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में व्याप्त गंभीर कमियों के मामलों से भी प्रभावी रूप से निपटें। प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा सतर्कता कार्य के त्रैमासिक मूल्यांकन संबंधी सुझावों तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को समय-सीमा में लिखे जाने पर बल देते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों को लिखा गया है।

कार्यशाला में जो विचार-विमर्श हुआ उसकी जो रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्राप्त हुई है उसमें सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में भ्रष्टाचार से संबंधित ब्यौरे शामिल नहीं थे।

Illegal Renting of Buildings by Cultural Societies

2536. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Bhartiya Kala Kendra, Shri Ram Centre for Art and Culture, Indian Council of World Affairs (Sapru House), Gandharav Mahavidyalaya and Sangeet Bharti have rented out any part of their buildings;

(b) if so, the parties to which these have been rented out and the terms and conditions thereof;